दिनाक 10.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति10 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा वायु प्रदूषण के रोकथाम के सम्बन्ध में दिये दिशा निर्देश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नरेट लखनऊ/गौतबुद्धनगर ,परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को वायु प्रदूषण की रोकथाम के सम्बंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इस मुख्यालय से समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा उक्त सम्बंध में निम्नाकिंत निर्देश निर्गत किये गयेः–

- कृषि अपशिष्ट (पराली) को जलाये जाने की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोके जाने हेतु हर सम्भव कड़े कदम उठाये जाये।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शासन द्वारा निर्गत निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
- आबादी क्षेत्रों में पर्याप्त जागरूकता के अभाव में लोग जाने–अनजाने कूड़े कचरे को जलाकर सफाई करने का प्रयास करते है, से जनमानस को जागरूक किया जाये तथा कूड़ा जलाये जाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये। उल्लंघन की दशा में नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाये। राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0)द्वारा दिल्ली और आस–पास के इलाकों में फसल या अन्य उपशिष्ट पदार्थ जलाये जाने को प्रतिबन्धित किया है और आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारी जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए जिलों में बाइण्डर या बिना बाइण्डर के स्ट्रा रीपर के साथ ही कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीनों का प्रयोग फसलों की कटाई हेतु किया जाना गम्भीरता से सुनिश्चित कराया जाये।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व के सम्बंध में टेलीविजन मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो आदि के माध्यमों से वृहद प्रचार–प्रसार किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विधि अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

जनपद चित्रकूट/थाना कर्वी

- **40,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद।**

दिनांक 09.10.2020 को थाना कर्वी , थाना मारकुण्डी व थाना बहिलपुरवॉ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बधौंड़ा मोड़ के पास से 40 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मामा उर्फ राजबहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, मय 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गैंगेस्टर एक्ट सहित 05 अभियोगों में वॉछित चल रहा था, जो विगत 08 वर्षो से फरार था एवं मा0न्यायालय द्वारा मफरूर घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु 40,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कर्वी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मामा उर्फ राजबहादुर निवासी हटवा थाना मऊ, जनपद चित्रकूट।

बरामदगीः–

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, मय 02 जीवित कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना ब्रहमपुरी

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 04 जीवित कारतूस**
- **01चोरी की कार आदि बरामद।**

दिनांक 09.10.2020 की रात्रि में थाना ब्रहमपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली बम्बा बाईपास पर कार सवार बदमाशों की घेरा बन्दी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित 02 बदमाश 1–गुलफाम ,2–मेहराज घायल हो गये ,जिन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से उनके अन्य साथी फरार हो गये ,जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 04 जीवित कारतूस, 01 चोरी की कार बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर है। गिरफ्तार अभियुक्त गुलफाम के विरूद्व जनपद मेरठ, गाजियाबाद, गौतबुद्धनगर व दिल्ली के प्रांत के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, व आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग एवं अभियुक्त मेराज के विरूद्व 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तगण जनपद स्तर से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गुलफाम निवासी ग्राम घोसीपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ।
2–मेहराज निवासी मकबरा डिग्गी थाना रेलवे रोड़ जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 04 जीवित कारतूस।
2– चोरी की 01 कार एवं वाहन चोरी करने के विभिन्न उपकरण आदि ।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू</u>

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, पिकअप वाहन, बरामद।**

दिनांक 09/10.10.2020 की रात्रि थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पलड़ा झाल नहर पुल के पास पिकअप सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी ,तो पिकअप सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी विवेक उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया। मौके से उसके अन्य साथी फरार हो गये ,जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनॉकः23/24.09.2020 को ट्रक लूट व चालक की हत्या के सम्बन्ध में थाना पहासू पर पंजीकृत मु0अ0सं0–319/2020 धारा 302/201/120बी/328/394/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना पहासू पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विवेक उर्फ दीपू निवासी ग्राम शामपुर थाना विधुना जनपद औरैया ।

<u>बरामदगीः–</u>

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस ।

2–घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर</u>

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद।**

दिनांक 10.10.2020 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आवास विकास कालोनी रस्तोगी गली के सामने से गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित पुरस्कार घोषित अपराधी फैज मोहम्मद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0सं0–403/2020 धारा 2/3 यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–फैज मोहम्मद उर्फ मुन्ना निवासी ए0बी0 नगर ,डी0एस0एन0रोड़ थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव ।

<u>बरामदगीः–</u> 01 अवैध तमंचा 315 बोर , 02 जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सदरबाजार

• 03 शराब तस्कर गिरफ्तार,

• लगभग 15 लाख रूपये कीमत की 210 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब,

• 01 अवैध तमंचा , 02 जीवित कारतूस,

• 01ट्रक, 01कार आदि बरामद।

दिनांक 09.10.2020 की रात्रि थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से सूचना के आधार पर सतवा खुर्द बाईपास के पास से शराब तस्कर 1—सूरज, 2—संजीव, 3—विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ट्रक एवं कार में लोड 210 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कीमत लगभग 15 लाख रूपये , आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सूरज निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली, जनपद शामली।

2—संजीव निवासी मोहल्ला दयानन्दनगर ,थाना कोतवाली जनपद शामली।

3—विकास निवासी ग्राम नागलखेड़ी ,थाना चाँदनीबाग, जनपद पानीपत ,हरियाणा।

बरामदगी

1—210 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब,
2—01 अवैध तमंचा 38 बोर , मय 02 जीवित कारतूस।
3—01 ट्रक, 01 कार।

कमिश्नरेट गौतबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

• 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर, मय कारतूस बरामद।

दिनांक 09.10.2020 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा मैट्रो स्टेशन सेक्टर—144 के पास कार सवार अभियुक्त की घेराबन्दी की गयी ,तो कार सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी कविन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस व 01 कार बरामद हुयी । घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सूरजपुर का टॉप 10 अपराधी है,जो थाना बीटा–2 से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कविन्द्र निवासी ग्राम मकोड़ा थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगीः–

1–01 अवैध तमंचा 315 मय कारतूस।

जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढ़ी

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**

दिनांक 10.10.2020 को थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी समिति के पास से गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित पुरस्कार घोषित अपराधी राजेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0सं0–302/2020 धारा 2/3 यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश निवासी नकटापुर मुरादाबाद ,थाना बरखेड़ा ,हाल निवासी राजीव कालोनी थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत ।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुआ

- **पुलिस कार्यवाही में वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद।**

दिनांक 10.10.2020 को थाना पिलखुआ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डुहरी पेट्रोल पम्प के पीछे एच0पी0डी0ए0 क्षेत्र के सम्पर्क मार्ग पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में वॉछित अपराधी वसीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है किं गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिलखुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0—435/2020 धारा 332/353/307 भादवि में वॉछित चल रहा था।

इस संबंध में थाना पिलखुआ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम निवासी मोहल्ला रमपुरा थाना व कस्बा पिलखुआ जनपद हापुड़।

बरामदगीः—

1—01 अवैध तमंचा 315 , 02 जीवित , 01 खोखा कारतूस।

एसटीएफःथाना क्षेत्र ध्रोल, जामनगर (गुजरात) में हुई हत्या में वांछित अभियुक्त को एसटीएफ, उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार।

दिनॉकः 09—10—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना ध्रोल, जामनगर गुजरात में हुई हत्या की घटना में वांछित अपराधी सोनू सिंह उर्फ रोहित को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1— सोनू सिंह उर्फ रोहित पुत्र राम प्रसाद ठाकुर नि0 ग्रा0 नेवारी, दर्जीकुवां, थाना—कोतवाली देहात, गोण्डा, उ0प्र0।

बरामदगीः-

1. 01 अदद मोबाइल फोन
2. 01 अदद आधार कार्ड।
3. 01 अदद वोटर आईडी।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान-

बहराईच—गोण्डा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम चिल्हवरिया के निकट थानाक्षेत्र कोतवाली देहात, जनपद—बहराइच (उ0प्र0) दिनाँक— 09.10.2020 समय— 21.15 बजे

दिनांक 06—03—2020 को थाना ध्रोल, जामनगर गुजरात राज्य में दिव्यराज सिंह की हत्या हुई थी, जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 11202014210007/2020, धारा 302, 120बी भा0द0वी0 व 25 शस्त्र अधिनियम, थाना—ध्रोल, जिला—जामनगर, गुजरात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें वांछित मुख्य शूटर/भाड़े के हत्यारे सोनू सिंह उर्फ रोहित पुत्र राम प्रसाद ठाकुर, नि0 नेवारी दर्जीकुवाँ थाना कोतवाली देहात की गिरफ्तारी हेतु क्राइम ब्रांच जामनगर गुजरात द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 से वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु सहयोग की अपेक्षा की गयी थी, जिसके क्रम में पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 द्वारा एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ स्थित एक टीम को आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि गुजरात राज्य में हुई हत्या के मुकदमें में वांछित अपराधी सोनू सिंह किसी काम से अपने बहन के घर ग्राम चिल्हवारिया, जनपद बहराइच आने वाला है, इस सूचना पर एसटीएफ मुख्यालय से मु0आ0 सुधीर सिंह, आरक्षी सत्यप्रकाष वर्मा, आरक्षी अमित की एक टीम गठित कर जनपद बहराईच के लिए रवाना की गयी। एसटीएफ टीम क्राईम ब्रान्च गुजरात को साथ लेकर जनपद बहराईच पहुॅची। वहॉ पहुंचकर अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त सोनू सिंह ग्राम चिल्हवरिया में आने वाला है इस सूचना पर एसटीएफ टीम व क्राईम ब्रान्च गुजरात टीम संयुक्त रूप से अभियुक्त सोनू सिंह को आवष्यक बल प्रयोग कर ग्राम चिल्हवरिया थाना क्षेत्र कोतवाली देहात से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ रोहित ने बताया कि ओमदेव सिंह जडेजा का प्रापर्टी डीलर व भू—माफिया दिव्यराज सिंह जडेजा, निवासी ध्रोल, थाना जामनगर गुजरात से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके कारण ओमदेव सिंह जडेजा ने रु0 10,00,000/—(दस लाख रुपये) में दिव्यराज सिंह की हत्या की सुपारी सोनू सिंह के मित्र बबलू सिंह, निवासी—गिरवां, थाना—मोतीगंज
जनपद—गोण्डा, उ0प्र0 को दी थी। बबलू जोकि ओमदेव सिंह जडेजा के मोबाइल टावर कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी मैनेजर था और काफी दबंग और आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, उसने अपने अन्य अपराधी साथियों व भाड़े के हत्यारे 1— अनिरुद्ध सिंह सोडा, 2— मुस्ताक पठान निवासी गुजरात व सोनू सिंह उर्फ रोहित के साथ मिलकर दिनदहाड़े ध्रोल बाजार जामनगर में दिव्यराज सिंह जडेजा की 09 एमएम की पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनू सिंह उर्फ रोहित हत्या की घटना मुख्य शूटर है जोकि घटना के बाद से फरार चल रहा था व अपनी लोकेशन बदल—बदल विभिन्न राज्यो में रह रहा था। दिनांक 09.10.2020 को सोनू सिंह अपनी बहन से मिलने चिल्हवारिया, जनपद बहराइच आ रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ रोहित को थाना कोतवाली देहात, जनपद—बहराइच औपचारिकता पूर्ण करके क्राइम ब्रांच जामनगर गुजरात को सुपुर्द किया गया। शेष विधिक कार्यवाही थाना—ध्रोल, जिला—जामनगर, गुजरात राज्य की पुलिस द्वारा की जाएगी।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना करमा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा)</u>

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एस0जे0 द्वारा थाना करमा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–82/16 धारा 302/307/326/436/34 भादवि में 02 अभियुक्तों 1–संदीप कुमार , 2–विनोद कुमार को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद सम्भल (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 28 लाख 89 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी मो0 रहीश उर्फ बब्लू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 28 लाख 89 हजार रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

—————